न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 84/2015

1. जगदीश पुत्र स्व0 श्री रामदेव जाति माली निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. कैलाश पुत्र स्व0 श्री रामदेव जाति माली निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः 17-1-20

उपस्थितः प्रार्थीगण राजेन्द्र मालाकार
अप्रार्थी

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम नलू पटवार हल्का नलू भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित ख0नं0 865 रकबा 00–11–00 किस्म गै0मु0 चाह प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में, ख0नं0 866/1 रकबा 03–03–00 किस्म बंजर प्रथम प्रार्थी सं0 2 के खातेदारी में एवं ख0नं0 866/2 रकबा 03–03–00 भूमि प्रार्थी सं0 1 के खातेदारी में दर्ज है। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि प्रार्थीगण के पिता रामदेव पुत्र हरदेव के नाम खातेदारी में दर्ज थी जिसके पुराने खसरा नम्बर 865 व 866 थे। प्रार्थीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत के नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 23.06.1986 को खोला गया था, जिसे ग्राम पंचायत नलू द्वारा तस्दीक किया गया है जिसमें प्रार्थीगण के अलावा प्रार्थीगण के दो भाई जेठू व बद्री तथा प्रार्थीगण की माता बरजी के नाम दर्ज किया गया था। उपरोक्त खसरा नम्बरान् की भूमि का प्रार्थीगण, उसके दोनो भाईयों व माता ने सहमती से बंटवारा कर लिया था, जिसके नामान्तकरण संख्या 1266 दिनांक 03.03.2008 है जिसके अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बरान् की भूमि प्रार्थीगण के हिस्से में आयी थी, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 865, 866/1 व 866/2 हो गये है जो वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी में दर्ज है। विरासत का नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 23.06.1986 को खोला गया था उस समय प्रार्थीगण नाबालिग थे तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थीगण के बचपन के प्यार व स्नेह से पुकारते नाम पप्पू व नानू के नाम से उपरोक्त नामान्तकरण खोल दिया था जबकि पप्पू का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड में नाम जगदीश है एवं नानू का चालक अनुज्ञा पत्र व आधार कार्ड में कैलाश नाम है। उक्त गलत अंकन के कारण प्रार्थीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसे प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहते है तथा राजस्व रिकार्ड में पप्पू के स्थान पर जगदीश एवं नानू के स्थान पर कैलाश नाम का अंकन करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 866/1 की भूमि में नानू के स्थान पर कैलाश व खसरा नम्बर 866/2 की भूमि में पप्पू के स्थान पर जगदीश एवं खसरा नम्बर 865 की भूमि में पप्पू के स्थान पर जगदीश व नानू के स्थान पर कैलाश दुरूस्त किये जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ख0नं0 866/1 रकबा 03—03—00 नानू वल्द रामदेव, ख0नं0 866/2 रकबा 03—03—00 पप्पू वल्द रामदेव तथा ख0नं0 865 रकबा 00—12—00 पप्पू, नानू पि0 रामदेव सर्व कौम माली सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 4 में अंकित कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम नलू के वर्तमान ख0नं0 866/1 रकबा 03—03—00 नानू वल्द रामदेव, ख0नं0 866/2 रकबा 03—03—00 पप्पू वल्द रामदेव तथा ख0नं0 865 रकबा 00—12—00 पप्पू, नानू पि0 रामदेव सर्व कौम माली सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु पश्चात् उनके नाम विरासत का नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 23.06.1986 को खोला गया था उस समय प्रार्थीगण नाबालिग थे तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थीगण के बचपन के प्यार व स्नेह से पुकारते नाम पप्पू व नानू के नाम से उपरोक्त नामान्तकरण खोल दिया था जबकि पप्पू का वास्तविक नाम जगदीश है एवं नानू का वास्तविक नाम कैलाश है। उक्त गलत अंकन के कारण प्रार्थीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसे प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहते है तथा राजस्व रिकार्ड में पप्पू के स्थान पर जगदीश एवं नानू के स्थान पर कैलाश नाम का अंकन करवाना चाहते है।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न

Devendra

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

नामान्तरण अनुसार विरासत का नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 23.06.1986 को पप्पू व नानू के नाम से खोला गया है जो की ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी यही अंकन यथावत है, इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिसकी की धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत् शुद्धि की जा सके। क्योंकि धारा 136 के अन्तर्गत जमाबन्दी में वर्तनी अशुद्धि जो कि त्रुटि पूर्ण अंकित हो उसे सही किया जाता है। अतः उक्त प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनिमय की श्रेणी में नहीं आने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.1.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Devendra.

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2020.02.13 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: